

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण वर्ष 2018-19

1. आधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

उस विधि, उप संमान, वास्तुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति रिखा है	संपत्ति का नाम तथा खी	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह जिसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई है उसका नाम तथा खी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	गृह तथा अन्य भवन भूमि	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

उक्त नाम न ही काट दी जाए।
ऐसे मामले में उक्त मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो तो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
उसमें अत्यधिकतर पट्टे की संपत्ति है
जिम्मा - मध्यप्रदेश शासकीय संवक (आधारण) नियम 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के मूल्य संदर्भ से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद मूल्यक बावत महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आगिया उक्त विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के बारे में है।

हस्ताक्षर :
नाम :
पद :